आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3

23/6/17

आदेश

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0– 86/16–17 सरकार बनाम् गुलशन कुमार वगैरह का मामला जप्त मोटरसाईकिल हिरो होण्डा एच0एफ0 डिलक्स नं0– BR-10W-2358 तथा मोटरसाईकिल यामाहा F2S नं0–BR-10T-4929 के अधिहरण हेतु कार्यवाही चल रही है।

इस संबंध में बौंसी थाना कांड सं0–169/16 दिनांक–07.09.16 धारा–47(ए)/57/54 बिहार उत्पाद अधिनियम, 2016 अंकित करते हुए अधिहरण हेतु प्रस्ताव उचित माध्यम से प्राप्त हुआ जिसके आलोक में कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं कांड के 04 प्राथमिकी अभियुक्तों को प्रयुक्त मोटरसाईकिल के अधिहरण के संबंध में कारण–पृच्छा समर्पित करने हेतु निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया गया जिनका नाम व पता यह है :–

1. गुलशन कुमार, पे0–अरविन्द कुमार, ग्राम–कोपीपार माणिकपुर, थाना–सुर्यगढ़ा, जिला–लखीसराय
2. अभय कुमार, पे0–रामचन्द्र साह, ग्राम–नयाटोला नवगछिया, थाना–नवगछिया, जिला–भागलपुर
3. बिट्टू कुमार, पे0–सुनिल ठाकुर, ग्राम–नयाटोला नवगछिया, थाना–नवगछिया, जिला–भागलपुर
4. आशिष कुमार, पे0–रामु गुप्ता, ग्राम–गौशाला रोड नवगछिया, थाना–नवगछिया, जिला–भागलपुर

क्रमांक–02 एवं 03 के अभियुक्त के संबंध में नोटिस बिना तामिला वापस किया गया। डाक विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्तकर्त्ता का पता नहीं चला।

निर्धारित तिथि पर अभियुक्त सं0–01 गुलशन कुमार एवं अभियुक्त सं0–04 आशिष कुमार उपस्थित हुए एवं एवं कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु समय आवेदन दिया गया।

अगली निर्धारित तिथि को आशिष कुमार द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। अभियुक्त संख्या–01 गुलशन कुमार द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु समय मांगा गया।

आशिष कुमार द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा के आलोक में दिनांक–23.06.17 को सुनवाई की गयी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त मोटरसाईकिल बौंसी थाना कांड सं0–169/16 के आलोक में जप्त है एवं मोटरसाईकिल के संबंध में अधिहरण की कार्यवाही चलने लायक नहीं है। मोटरसाईकिल से शराब की जप्ती नहीं हुई है जो जप्ती सूची से स्पष्ट है। मोटरसाईकिल सामान ढोने के रूप में नहीं मानी जायेगी। तलाशी विधि के अधीन नहीं किया गया है। अभियुक्त से या मोटरसाईकिल से किसी चीज की बरामदगी नहीं की गयी है तथा दवाब के आगे उन्होंने पुलिस के समक्ष हस्ताक्षर किया है।

उपर्युक्त के आलोक में कारण–पृच्छा स्वीकार करने एवं मोटरसाईकिल को अधिहरण से मुक्त करने की प्रार्थना की गयी।

बहस के आलोक में अभिलेख का परीक्षण किया गया। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक–07.09.16 को समय 10:00 बजे दिन में पुलिस टीम द्वारा दिवा गश्ती करते हुए 10.20 बजे दुमका रोड में सुखनिया पुल के पास जैसे ही पहुँचे की दो मोटरसाईकिल पर चार लोग सवार होकर बौंसी के तरफ आ रहे थे। पुलिस गाड़ी को देखकर चालक दोनों मोटरसाईकिल घुमाकर भागने लगे जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया एवं नाम पता पूछने पर चारों अभियुक्तों की दो स्वतत्र साक्षी की उपस्थिति में तलाशी ली गयी।

यामाहा F2S नं0–BR-10T-4929 के चालक गुलशन कुमार तथा इसके पीछे बैठा व्यक्ति का नाम अभय कुमार एवं हिरो होण्डा एचसएफ0 डिलक्स नं0– BR-10W-2358 के चालक का नाम बिट्टु कुमार पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आशिष कुमार बताया।

यामाहा F2S नं0–BR-10T-4929 पर पीछे बैठे व्यक्ति अभय कुमार के पीठ में टंगे काले रंग के बैग में 17 बोतल विदेशी शराब 375 एम0एल0 का पाया गया। गाड़ी यामाहा के चालक गुलशन ने बताया की गाड़ी दूसरें की है। इस गाड़ी के पीछे कैरियर में एक काले रंग का बैग रबड़ से बंधा हुआ था तथा बैंग खोलने पर उसमें 15 बोतल अवैध विदेशी शराब 750 एम0एल0 पाया गया।

हिरो होण्डा मोटरसाईकिल के चालक बिट्टू कुमार के पीठ में टंगे काले रंग बैग को खोलने पर उसमे 13 बोतल विदेशी शराब 375 एम0एल0 का मिला तथा इसी गाड़ी के पीछे बैठा व्यक्ति आशिष कुमार के पीठ पर टंगे काले रंग के बैग को खोलने पर उसमे 20 बोतल विदेशी शराब 375 एम0 एल0 पाया गया।

उक्त पकड़ाये गये चारों अभियुक्तों से अनुज्ञप्ति एवं कागजात की मांग की गयी परन्तु ना तो कोई अनुज्ञप्ति दिखाया और ना ही संतोषजनक जवाब दे सके। चारों अभियुक्तों ने पुलिस को ये बताया की झारखंड हसडीहा से शराब लाकर भागलपुर एवं नवगछिया में बेचने का काम करते है। चारों व्यक्ति एवं गाड़ी से ली गयी तलाशी के आलोक में जप्ती सूची तैयार की गयी है जिसपर स्वतंत्र साक्षी का हस्ताक्षर अंकित है।

कांड का पर्यवेक्षण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बांका द्वारा किया गया है तथा पर्यवेक्षण पश्चात् अनुसंधान, घटनास्थल के निरीक्षण, वादी, साक्षीयों के ब्यान एवं जप्ती सूची से यह कांड धारा–47(ए)/57/54/ बिहार उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत प्राथमिकी के सभी नामजद अभियुक्तों के विरूद्व सत्य एवं आरोप–पत्र का पर्याप्त साक्ष्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक, बांका के प्रतिवेदन सं0–02 के द्वारा तथ्यों के आलोक में जप्त वाहनों को राज्यसात करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने का निर्देश अनुसंधानकर्त्ता एवं अन्य संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया जिसके आलोक में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

प्रस्तुत कार्यवाही में उपस्थित गुलशन कुमार एवं आशिष कुमार द्वारा न्यायालय को यह जानकारी नहीं दी गयी है कि जप्त दोनों मोटरसाईकिल के वस्तुतः वाहन स्वामी कौन है। आशिष कुमार के कारण–पृच्छा में भी इस तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया है परन्तु कारण–पृच्छा से यह परिलक्षित होता है कि या तो वो वाहन स्वामी का नाम उजागर नहीं करना चाहते या फिर वे स्वयं वाहन स्वामी है। कारण–पृच्छा में उठाई गयी आपत्ति आरोप से बचने हेतु सोच–समझकर कहा गया है ताकि जप्त वाहन राज्यसात होने से बचाया जा सके। तलाशी–सह–जप्ती सूची भी स्वतंत्र साक्षी के उपस्थिति एवं उनके हस्ताक्षर से सम्पुष्ट है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अवैध शराब ले जाने में उक्त दोनों मोटरसाईकिल को प्रयुक्त किया गया है जिसपर बैठे अभियुक्त के द्वारा बैग में शराब रखकर चोरी–छिपे ले जा रहे थे एवं मौके पर पकड़े गये। एक मोटरसाईकिल के कैरियर में बंधे बैग में शराब की बोतले पायी भी गयी है फलस्वरूप आशिष कुमार द्वारा उठायी गयी आपत्ति उचित एवं युक्तिसंगत नहीं है।

अभियुक्त आशिष कुमार एवं गुलशन कुमार एवं उनके दो अन्य शार्गिद में से कोई वाहन स्वामी है जिसकी सही जानकारी न्यायालय को देना उक्त दोनों अभियुक्तों की जवाबदेही बनती है जिसे अभीतक न्यायालय के जानकारी में नहीं लाया गया है।

अतः उक्त दोनों उपस्थित अभियुक्तों से न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि जप्त मोटरसाईकिल के वाहन स्वामी का नाम एवं सही पता न्यायालय में लिखित रूप में दाखिल करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। अभियुक्त गुलशन कुमार अपना कारण–पृच्छा भी समर्पित करेंगे। विचारोपरांत इन दोनों पर अधिहरण की कार्यवाही चलती रहेगी। अभिलेख नियत तिथि–30.06.17 को उपस्थापित करें।

लेखापित

23.6.17

समाहर्त्ता,
बांका।

23.6.17

समाहर्त्ता,
बांका।